राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीम का थाना

न्यायालय बइजलास अनिल कुमार (आर.ए.एस) अति0 जिला कलक्टर, नीम का थाना
पीठासीन अधिकारी का नामः– अनिल कुमार (आर.ए.एस)
अपील संख्याः– 19/2023

उनवान

बीरबल पुत्र कानाराम उम्र 42 साल जाति अहीर निवासी ढाणी कांकडवाली तन ग्राम डेरावाली (मउ) तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।

———अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।
2. आनन्दीलाल यादव पुत्र रामदेव यादव निवासी ढ़ाणी कांकडवाली ग्राम डेरावाली (मउ) तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।

————रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.03.2023 प्रकरण संख्या 13/2022 उनवानी सरकार बीरबल अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– श्री एस.एन. सैनी एडवोकेट ———प्रार्थी
श्री हरीश उज्ज्वल एडवोकेट ———अप्रार्थी सं. 2
पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर ———अप्रार्थी सं. 1

निर्णय

दिनांकः– 05.02.2024

संक्षेप्त में अपील अपीलान्ट के तथ्य इसप्रकार से है कि अपीलार्थी एक कृषक है तथा अपनी खातेदारी भूमि में मकानात का निर्माण कदीम से कर रखा है तथा पैतृक रिहायशी मकान (बाड़ी) ढ़ाणी कांकड़वाली तन ग्राम डेरावाली कदीम से बनी हुई है। अपीलार्थी के आवासीय मकानो के सामने ग्राम पंचायत भीम द्वारा आम रास्ता पर इंटरलोकिंग सड़क का निर्माण किया गया उस दौरान दुसरी तरफ के अतिक्रमण के कारण सड़क को घुमाने का प्रयास किया था उसे रोकने के लिए अपीलार्थी ने तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी को सीधी सड़क बनवाने के लिए निवेदन किया लेकिन अन्य अतिक्रमणीयों ने अपीलार्थी के विरूद्ध झूठी शिकायत पेश कर हल्का पटवारी से गलत रिपोट पेश करा दी। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 23.12.2022 का देकर अत्यधिक जल्दबाजी में [illegible] किया के विपरित एवं न्यायालय अदालत हाजा निर्णय अपील दिनांक 03.01.2023 के विपरित [illegible] जाँच के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.03.2023 को पारित कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने [illegible] दावा से पहले निर्णय 27.12.2022 पारित किया गया था उसके विरूद्ध [illegible] के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई उसमें अपील स्वीकार करते हुये स्पष्ट निर्णय दिनांक 03.01.20[illegible] को पारित करके रेस्पोडेन्ट को आदेशित किया था लेकिन आदेशात्मक आदेश के बावजूद रेस्पोडेन्ट तहसीलदार ने अपीलार्थी को बिना अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:14:56 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट

पक्ष रखने का मौका दिये ही आदेश दिनांक 09.03.2023 पारित करके अपीलार्थी को भौतिक रूप से बेदखल करने का इकतरफा आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकरी भी नहीं दी गई व बदनियति पूर्वक दिनांक 20.03.2023 को मिली है। जिसके लिए तुरन्त अपील प्रस्तुत कि व उक्त निर्णय को निम्न बिन्दुओं के आधार पर निरस्त किये जाने को निवेदन किया:–

1. अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून वाकयात एवं रूएदाद मिसल है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
2. दिनांक 26.12.2022 को अपीलार्थी ने मौके की स्थिति का निरीक्षण कराने हेतु आवेदन किया था व अपील के निर्णय दिनांक 03.01.2023 की पालना करने हेतु पुनः रास्ते के दोनो तरफ की भूमि की माप कराने हेतु कहा था। मौके पर सड़क निर्माण भी किया जा चुका है साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय 2020 (2) आर.आर.टी. पेज 644 रविन्द्रनाथ बनाम पियुष कुमार में प्रतिपादित रूलिंग को भी अधिनस्थ न्यायालय ने द्वष्टिगत नहीं रखा है। अधिनस्थ न्यायालय को मौका निरीक्षण का सत्यता रिकार्ड पर लाने हेतु अपीलार्थी का पक्ष भी रिकार्ड पर लेना अति आवश्यक था। इसलिये पहले भी निर्णय दिनांक 27.12.2022 विधि विरूद्ध पारित किया था जिसे अदालत हाजा ने निरस्त कर दिया था एवं अब पुनः विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.03.2023 को पारित कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है।
3. अपीलार्थी के आवासीय मकानात कदीमी बुजुर्गो के समय से बहैसियत कृषक ग्राम पंचायत स्थापना के पहले से बने हुए है। अपीलार्थी के पक्ष की खातेदारी की भूमि 217 स्थित है। तथा विद्यूत कनेक्शन शुरू से स्थापित किया हुआ है।
4. अपीलार्थी के मकानों (गुवाड़ी) के अग्रवार सन् 2000–2021 में ग्राम पंचायत द्वारा सीमेन्टेड खुर्रा का निर्माण कराया गया था वह खुर्रा भूमि खसरा नं. 222 एवं 223 की दक्षिणी सींव तक बना हुआ है व खसरा नं. 222 एवं 223 के खातेदारान दक्षिणी सींव से बाहर निकलकर रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया जिसे बाबत शिकायते भी कि गई व तहसीलदार ने बिना जाँच किये अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 03.01.2023 की अवहेलना एवं अवमानना करते हुये अपील विधि विरूद्ध पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
5. अपीलार्थी ने रास्ते की भूमि में कोई अतिक्रमण किया है व अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका ही नहीं दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
6. हल्का पटवारी की रिपोर्ट पूर्णतया अस्पष्ट है तथ रिपोर्ट में कोई माप एवं स्थान अंकित ही नहीं है साथ ही रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट है कि मौके पर अपीलार्थी की दीवार एवं डोली पहले से बनी हुई है। अपीलार्थी ने कदीमी डोल से बाहर रास्ते की तरफ कोई अतिक्रमण किसी भी प्रकार का नही है तथा मौके पर इंटरलोकिंग सड़क का निर्माण भी किया जा चुका है। अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 03.01.2023 की पालना में तहसीलदार रास्ते के दोनो तरफ की खातेदारी की भूमि की माप ही नहीं की गई तथा कर्यालय में बैठकर इकतरफा रिपोर्ट दिनांक 03.02.2023 अवैध है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
7. मौके पर ग्राम पंचायत ने 2000–2001 से पहले ही रास्ता कायम करके रास्ता का निर्माण कर दिया था जो आनन्दीलाल के पुख्ता मकान की पुरानी दीवार से सटाकर कायत किया हुआ था लेकिन ताकत के बल पर रास्ता की भूमि पर अवैध निर्माण कर लिया जबकि अपीलार्थी का पुराना डोल दीवार उसी स्थाना पर विद्यमान है अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है।
8. माननीय न्यायालय ने खसरा नं. 221, 222 व 223 कुल रकबा 0.51 है0 की भूमि की माप कराने की बजाय पटवारी हल्का एवं गिरदावर की अस्पष्ट एवं आधारहीन रिपोर्ट दिनांक 03.02.2023 को आधार बनाक अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है।
9. दिनांक 09.03.2023 को अपीलार्थी ने भूमि की माप ई.वी.एस. मशीन से कराने का प्रार्थना–पत्र व शपथ पत्र पेश किया था उक्त प्रकरण की आर्डरशीट की प्रमाणित प्रति दिनांक 15.03.2023 को प्राप्त की थी तब तक कोई निर्णय नहीं किया गया [illegible] था बाद में पुरानी दिनांक 09.03.2023 का निर्णय अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र [illegible] किये बिना चुपचाप किया जाकर दिनांक 20.03.2023 को प्रतिलिपि दी गई है अतः [illegible] निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार कि जा[illegible] अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.03.2023 प्रकरण संख्या 13/2022 उनवानी सरकार बनाम बीरबल न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निरस्त किया जावें।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:14:56 IST
Reason: SelfAttested

अपील अपीलान्ट पेश होने पर कैवियट प्रस्तुत कर्ता को सूचना दी गई एवं पत्रावली दर्ज रजि. जाकर सूचना बाबत् नोटिस जारी किये गये।

वकूलाय उभय पक्ष उपस्थित। बहस वकील अपीलान्ट सूनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि प्रस्तुत अपील में अंकित खसरा नं. के संबंध में पूर्व में अपील प्रस्तुत कि गई थी जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 03.01.2023 को निस्तारण किया गया था जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिया कि गै. मू. रास्ते के ख.नं. 219 कि सीमा तय कि जाने पूर्व ख.नं. 218 व ख.नं. 222 कि व ख.नं. 219 के लगती हुई सीमा तय कि जावे इसके पश्चात भूमि ख. नं. 219 पर किसी के द्वारा भी अतिक्रमण किया जाना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें साथ यह भी आदेश दिया जाता है कि खसरा नं. 219 से संबंधित कोई आवेदन या प्रार्थना–पत्र पेंडिंग हो तो सभी को एक साथ सुनवाई का अवसर दिया जाकर निस्तारण किया जावें।

न्यायालय हाजा द्वारा दिये गये आदेश कि पालना पूर्ण रूप से नहीं कि गई एवं पटवारी हल्का द्वारा पुनः जो रिपोर्ट पेश कि गई जिसके आधार पर ही पुनः अतिक्रमी मानकर कार्यवाही शुरू कर दि गई जिसमें अपीलार्थी को सुनवाई का ना तो कोई अवसर दिया गया एवं ना ही न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश कि सम्पूर्ण रूप से पालना कि गई। इस आधार पर पुनः न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी पड़ी। तहसीलदार द्वारा भूमि खसरा नं. 221, 222, 223 का रकबा एवं सीमा चिन्ह् भी अंकित नहीं किया है एवं रास्ते कि जमीन को दबाने कि कार्यवाही कि गई है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर प्रकरण संख्या 13/2022 उनवानी सरकार बनाम बीरबल में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 09.03.2023 को पारित आदेश निरस्त किया जावें।

वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस बताया कि न्यायालय हाजा द्वारा मु.नं. 93/2022 उनवानी बीरबल बनाम तहसीलदार में दिनांक 03.01.2023 को आदेश पारित किया जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को जो आदेश दिये गये थे जिनकी नियमानुसार पालना करते हुये कार्यवाही कि गई है एवं मौके पर खसरा नं. 219 में जो अतिक्रमण बाद नोप–चोक निकलकर आया को मौके पर से जेसीबी द्वारा हटा कर रास्ते के अवरोध को दूर किया गया जो रिपोर्ट दिनांक 21.03.2023 कि है जिसकी प्रति पत्रावली में शामिल है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि आज दिनांक तक मौके पर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया एवं न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशो कि पालना नहीं कि गई। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट को परेशान व हैरान करने कि नियत से प्रकरण प्रस्तुत कर रहा है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कि जावे।

वकुलाय उभय पक्ष कि बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा मु.नं. 93/2022 उनवानी बीरबल बनाम तहसीलदार निर्णय दिनांक 03.01.2023 को पारित किया गया था। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पत्रावली रिमाण्ड कि गई थी जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 13/2022 दर्ज कर पुनः सुनवाई करते हुये दिनांक 09.03.2023 को निर्णय पारित किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर के न्यायालय के आदेश कि पालना में तहसीलदार स्वयं, गिरदावर व पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर खसरा नं. 219 गै. मु. रास्ते का अतिक्रमण दिनांक 21.03.2023 को हटाया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने गै. मू. रास्ते पर इंटरलोकिंग सड़क बनाकर खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण करने का जिकर किया है।

इस आधार पर तहसीलदार न्यायालय के प्रकरण संख्या 13/2022 उनवानी सरकार बनाम बीरबल में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2023 की पालना 21.03.2023 को उपलब्ध रिकार्ड अनुसार कि जा चुकी है।

वर्तमान अपील संख्या 19/2023 दिनांक 22.03.2023 को न्यायालय में पेश कि गई जिसमें अपीलार्थी द्वारा प्रकरण संख्या 13/2022 निर्णय दिनांक 09.03.2023 ... कि रिलीफ चाही गई है। चूकि मौके पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा खसरा नं. 219 गै. मु. रास्ते ... बाबत् सम्पूर्ण कार्यवाही संपादित कि जा चूकि है इसलिए प्रकरण में अब किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष एक आवेदन ई.टी.एस. मशीन द्वारा नाप–चोक करवाने बाबत् दिनांक 09.03.2023 को पेश करना पाया गया है जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है जो खेद जनक है। भूमिधारी कि हैसियत से तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रार्थी की खातेदारी भूमि का नाप–चोक करवाकर प्रार्थी को संतुष्ट करना चाहिए था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:14:56 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

खसरा नं. 219 गै.मू. रास्ता पर से अतिक्रमण मानते हुये कार्यवाही कि जा चुकि है। अब सिर्फ प्रार्थी की खातेदारी भूमि कि नाप–चोक की कार्यवाही शेष रहती है। जिसको प्रार्थी अलग से आवेदन लगाकर राहत प्राप्त कर सकता है। प्रार्थी कि खातेदारी भूमि का नाप–चाक करने का दायित्व भूमिधारी की हैसियत से तहसीलदार का बनता है। अपील में इस स्तर पर कोई अन्यथा आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज कि जाती है। अपीलान्ट को यह निर्देश भी दिये जाते है कि पूनः ई.टी.एस. मशीन से नाम–चोक करवाने हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करे तदनुसार जरूरत हो तो शुल्क जमा करवावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का आवेदन बाबत् खातेदारी भूमि नाप–चोक प्राप्त होने पर दो माह में प्रकरण का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। अगर प्रार्थी कि खातेदारी भूमि पर बाद नाप–चोक किसी प्रकार के इंटरलोकिंग का कार्य करना पाया जाता है तो संबंधित ऐजेंसी से प्रार्थी हरजा–खर्चा लेने के लिए स्वतंत्र होगा। निर्णय कि पालना हेतू तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय कि प्रति तहरीर के साथ भेजी जावें।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर
नीमकाथाना, सीकर

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

उक्त आदेश आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना सीकर

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:14:56 IST
Reason: SelfAttested